भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2380

उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

कमज़ोर जनजातीय समूह

2380. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कमजोर जनजातीय समूहों को चिह्नित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त जनजातीय समूहों के कल्याण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): 18 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 जनजातियों की पहचान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में की गई है। पीवीटीजी की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ग): 15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे कि सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

पीएम जनमन योजना के शुरू होने से पहले, पीवीटीजी के विकास के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय "पीवीटीजी के विकास" की योजना को क्रियान्वित कर रहा था, जिसमें संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश को संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजनाओं के लिए उनके प्रस्तावों के आधार पर धनराशि मुहैया करायी जाती थी। ये बुनियादी ढांचे में अंतरों को भरने के लिए थी और मांग आधारित थी।

पीएम जनमन योजना की शुरुआत के साथ ही पीवीटीजी के विकास की योजना को बंद कर दिया गया है और मंत्रालय केवल मार्च 2025 तक की प्रतिबद्ध देनदारियाँ प्रदान कर रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय कक्षा 6 से 12 तक अजजा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख योजना “एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)” भी क्रियान्वित कर रहा है। प्रत्येक ईएमआरएस में 5% सीटें पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना में, 750 स्लॉट में से 25 स्लॉट पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के तहत, 20 स्लॉट में से 3 स्लॉट पीवीटीजी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

अनुलग्नक-I

"कमजोर जनजातीय समूह" के संबंध में श्री बलवंत बसवंत वानखड़े द्वारा दिनांक 13.03.2025 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †2380 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पीवीटीजी की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	पीवीटीजी का नाम
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	चेंचु
2		बोडो गडबा
3		बोंडो पोरोजा
4		डोंगरिया कोंध
5		गुतोबगदाबा
6		खोंड पोरोजा
7		कोलम
8		कोंडारेड्डी
9		कोंडा सवारस
10		कट्टिया कोंध
11		पेरंगीपेर्जा
12		थोटी
13	बिहार (झारखंड सहित)	असुर
14		बिरहोर
15		विरजिया
16		पहाड़ी खरिया
17		कोरवा
18		माल पहरिया /
19		माल पहरिया
20		पहरिया
21		सोरिया पहाड़िया
22	गुजरात	कथोडी
23		कोटवालिया
24		कोलघा
25		पाधर
26		सिद्दी
27	कर्नाटक	जेनुकुरुबा
28		कोरग
29	केरल	चोलानाइकन
30		कादर
31		कट्टुनायकन
32		कोरग
33		कुरुम्बा
34	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	अबूझ मारिया / अबूझ मारिया

35		बैगा
36		भारिया
37		बिरहोर
38		पहाड़ी कोरवा
39		कमार
40		सहरिया
41	महाराष्ट्र	कटकारी
42		कोलम
43		मारिया गोंड
44	मणिपुर	मारम
45	ओडिशा	बिरहोर
46		बोंडो
47		चुकटिया भुंजिया
48		दीदाई
49		डुंगरिया कोंध
50		जुआंग
51		खडीआ
52		कुटिया कंधा
53		लांजियासोरा
54		लोढ़ा
55		मांकिडिया
56		पौडीभुइयां
57		सौरा
58	राजस्थान	सेहरिया
59	तमिलनाडु	इरुलर
60		कट्टुनायक्कन
61		कोटा
62		कुरुमान
63		पनियन
64		टोडा
65	त्रिपुरा	रियांग
66	उत्तर प्रदेश	बुक्सा
67	(उत्तराखंड सहित)	राजी
68	पश्चिम बंगाल	बीरहड़
69		लीधा
70		टोटो
71	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	ग्रेट अंडमान निवासी
72		जरावा
73		ओंगे
74		सेंटीनेली
75		शोम पेन

*****